

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांक.:एफ.1(1)(53)/स्था./मअवि/2012/ 94594

जयपुर दिनांक: 20/8/18

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्मिको के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किए जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	श्री विजय लक्ष्मी जोशी, प्रचेता	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-बीकानेर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-जोधपुर	श्रीमती ललिता मोहनोत के स्थान
2.	श्रीमती ललिता मोहनोत, प्रचेता	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-जोधपुर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-बीकानेर	श्रीमती विजय लक्ष्मी जोशी के स्थान पर
3.	श्रीमती उर्मिला जोशी, प्रचेता	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-जोधपुर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-उदयपुर	रिक्त पद पर
4.	श्री अनिल मेहता, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-डूंगरपुर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
5.	श्री राजेन्द्र नन्दवाना, क. सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-जैसलमेर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-उदयपुर	रिक्त पद पर
6.	श्री भंवर सिंह राठौड़, च.श्रे.कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-सवाई माधोपुर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
7.	श्री गंवर सिंह, च.श्रे. कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, जालौर	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-जोधपुर	रिक्त पद पर
8.	श्री पन्नालाल साद, च.श्रे. कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-प्रतापगढ़	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता-डूंगरपुर	रिक्त पद पर

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रिणु खण्डेलवाल)  
अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता

जयपुर दिनांक: 20/8/18

क्रमांक.:एफ.1(1)(53)/स्था./मअवि/2012/ 94595-626  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव शासन सचिव महोदया, मबावि
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....
4. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, .....
5. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता .....
6. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय महिला अधिकारिता
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) म. अ., मुख्यालय को विभागीय साईट पर अपलोड करने बाबत।
8. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री .....
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता